

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान जयपुर
क्रमांक: एफ. 3 (ख) (1) अलेसे-11/15838-63 दिनांक : 23 सितम्बर 2013
आदेश संख्या 240/2013-14

राजस्थान अधीनस्थ लेखा सेवा नियम 1963 के नियम 29 (2ए) के अन्तर्गत गठित विभागीय पदोन्नति समिति नियमित वर्ष 2013-14 की सिफारिशों के आधार पर निम्नांकित कनिष्ठ लेखाकारों, जिनका चयन उक्त नियमों के अन्तर्गत लेखाकार के रिक्त पदों पर वरिष्ठता एवं योग्यता के आधार पर किया गया था, किन्तु इनके द्वारा तत्समय संतान घोषणा पत्र प्रस्तुत नहीं किये जाने के कारण पदोन्नति आदेश जारी नहीं किये गये थे। अब इनके द्वारा वांछित संतान घोषणा पत्र प्रस्तुत कर दिये जाने के कारण निम्नांकित क.लेखाकारों की पदोन्नति की जाकर लेखाकार पद की वेतन श्रृंखला (पी.बी.2) 9300-34800 ग्रेड-पे नम्बर 12 (रुपये 4200/-) में स्थानापन रूप से नियुक्त किया जाता है:-

क.सं.	मेरिट नम्बर	कम्प्यूटर लिक नम्बर	कनिष्ठ लेखाकार का नाम सर्वश्री	अनु.जा/ अनु. जजा.	पदोन्नति वर्ष	जन्मतिथि
1	2	3	4	5	6	7
1.	449/88	2765	इनद्र सिंह शर्मा		2013-14	03.03.1957
2.	704/88		वीरेन्द्र सिंह राजपुरोहित		2013-14	14.11.1964
3.	डीजीएस/88	6192	सुशील कुमार तंवर		2013-14	29.05.1965
4.	533/90	3775	ओमप्रकाश जांगिड		2013-14	18.04.1966
5.	569/90	4988	पूरणमल धांकड		2013-14	04.05.1961
6.	587/90	2219	रामकुमार सिंह		2013-14	01.08.1962
7.	डीजीएस/90	6199	सुबीर चटर्जी		2013-14	20.08.1960
8.	140/92स्पे	2592	हेतुराम धौरण	अ.जा.	2013-14	01.01.1965
9.	463/92		गुणेश	अ.जा.	2013-14	22.02.1969
10.	543/92	8599	ज्ञानसिंह नैनावत	अ.जा.	2013-14	01.07.1971

उपयुक्त कनिष्ठ लेखाकार पदोन्नति के फलस्वरूप अपने वर्तमान पदों पर इन पदों को अस्थाई रूप से यथा आवश्यकता कमोन्त मानते हुए कार्यग्रहण कर अग्रिम आदेशों तक यथावत कार्यरत रहेंगे।

उक्त आदेश वित्त विभाग की स्वीकृति संख्या प.2 (10) वित्त/राजस्व/07 दिनांक 30.10.2012 के अनुसरण में जारी किये गये हैं।

(वीरबाला जोशी)
निदेशक

कोष एवं लेखा
दिनांक 23 सितम्बर 2013

क्रमांक:- एफ. 3 (ख) (1) अलेसे-11/15838-63

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवही हेतु प्रेषित है:-

1. विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष..... को प्रेषित कर लेख है कि वे कृपया संबंधित क0 लेखाकार को लेखाकार के पद पर कार्यगृहण करा इस विभाग को सूचित करावें।
2. अतिरिक्त निदेशक, (कार्मिक-11) कार्यालय हाजा को प्रेषित कर निवेदन है कि सम्बन्धित कनिष्ठ लेखाकारों की निजी पत्रावलियाँ पूर्ण कर भिजवाने की व्यवस्था करावें।
3. कोषाधिकारी.....
4. एसीपी (उपनिदेशक-कम्प्यूटर अनुभाग) वेबसाईट पर अपलोड हेतु
5. श्री कनिष्ठ लेखाकार विभाग/ कार्यालय..... को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि वे कार्यग्रहण सूचना अविलम्ब इस विभाग को भिजवावें।
6. डीपीसी अनुभाग/ गोपनीय अनुभाग
7. निजी सहायक निदेशक महोदय
8. निजी पत्रावली

(क.एम.मीणा)
अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-1)